जनपद गाजियाबाद **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 01.08.19**

दिनांक 28.07.19 की रात्रि मे शिविर से कावडिये का मोबाइल चोरी करने वाला शातिर चोर मय चोरी के मोबाइल सहित गिरफ्तार- दिनांक 01.08.19 को मुखबिर की सूचना पर थाना मुरादनगर के मु0अ0सं0 634/19 धारा 379 भादवि के अभियुक्त सौरव पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम दुहाई थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद पेरीफेरल हाईवे दुहाई के पास से समय 09.05 बजे मय चोरी के सैमसंग मोबाइल सहित गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरणः- दिनांक 28.07.19 की रात्रि मे ग्राम दुहाई मे कावड शिवर से कावडिये का चार्जिंग पर लगा मोबाइल अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया था। जिसके सम्बन्ध मे वादी देशराज अरोडा पुत्र हीरानन्द अरोडा निवासी अशोक बिहार फेस 1 दिल्ली 52 द्वारा थाने पर तहरीर देकर मु0अ0सं0 634/19 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया। थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त सौरव के कब्जे से चोरी का मोबाइल बरामद किया गया।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्त-

सौरव पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम दुहाई थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।

बरामदा सामान-

1- सैमसंग मोबाइल IMEI NO. 357157095427701 (चोरी का)

720 पव्वा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः- थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 31.07.19 को समय 20:11 बजे लाजपतनगर कट से अभियुक्त परवीन पुत्र राकेश निवासी बास महौल्ला सदरपुर थाना कविनगर गा0बाद को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से 720 पव्वा अवैध शराब हरियाणामार्का बरामद हुयी है।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 01 नफर अभि0 अवैध तमन्चा, कारतूस 315 बोर , व लूट के 2250 रु व चोरी की मोटर साइकिल अपाचे सहित गिरफ्तार ट्रोनिका सिटी पुलिस ने ट्रोनिका सिटी क्षेत्र मे चैकिंग के दौरान दि0 1/8/19 को समय 01.20 बजे RMS चौराहे के पास से 01 नफर अभियुक्त **मोहित** को चोरी की मोटर साईकिल अपाचे व थाना हाज पर पंजीकृत मु0अ0स0 184/19 धारा 392/411 भादवि से सम्बन्धित **लूट के 2250** रु नकद व 01 अदद तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफतार किया गया है।

इसका एक साथी चिन्टू अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया

गिरफतार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो अपने साथियो के साथ मिलकर दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र मे लूट की घटनाओ को अंजाम देता है जिसके विरुद्ध दिल्ली के विभिन्न थानो मे लूट , डकैती व अवैध असलाहो की बरामदगी सम्बन्धी दर्जनो अभियोग पंजीकृत है।

बरामद अपाचे मोटर साईकिल अपाचे दिल्ली से चोरी करना बताया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मोहित पुत्र कप्तान नि0 20 फुटा रोड चमन विहार थाना सोनिया विहार दिल्ली

मौके से भागे अभियुक्त का विवरण-

चिन्टु पुत्रप्रकाश नि0 20 फुटा रोड चमन विहार थाना सोनिया विहार दिल्ली

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद तंमचा 315 बोर 01 जिदा कारतूस

2. थाना हाजा के मु0अ0स0 184/19 धारा 392 भादवि की घटना मे **लूटे हुये 2250 रु नकद**

3.एक अदद मोटर साईकिल अपाचे सफेद रंग न0 डीएल 7 एसबीसी 9045 चोरी की चेचिस न0 MD634BE42H2B02601 इंजन न0 BE4BH02002588

आपराधिक इतिहास-

1 मु0अ0स0 229/18 धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट थाना उस्मानपुर दिल्ली
2 मु0अ0स0 223/18 धारा 356/379/34 भादवि थाना उस्मानपुर दिल्ली
3 मु0अ0स0 163/18 धारा 392/394/397/34 भादवि थाना उस्मानपुर दिल्ली
4 मु0अ0स0 69/18 धारा 392/34 भादवि थाना इन्द्रप्रस्थ स्टेट दिल्ली
5 मु0अ0स0 53/18 धारा 392/34 भादवि थाना रुपनगर दिल्ली
6 मु0अ0स0 102/18 धारा 392/397/34 भादवि थाना गीता कालोनी दिल्ली
7 मु0अ0स0 251/18 धारा 395/397/307भादवि व 25/54/59 आर्म्स एक्ट थाना कश्मीरी गेट दिल्ली
8 मु0अ0स0 488/18 धारा 411/414 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद
9 मु0अ0स0 489/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद
10 मु0अ0स0 184/18 धारा 392/411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद

L ब्लाक कविनगर में घर में हुई करोड़ो की चोरी का अनावरण करते हुए 04 शातिर चोर मय हथियार एवं सोने व हीरे के चोरी किये गये आभूषण (कीमत करीब 58 लाख) तथा 49 लाख 45 हजार 500/- रुपए नगद एव लाईसेन्सी विदेशी रिवाल्वर (कीमत करीब 10 लाख) सहित गिरफ्तार:- “दिनांक 27.07.19 को कविनगर में व्यापारी अंकुश बंसल नि. के. एल. 106 कविनगर, गाजियाबाद द्वारा थाना कविनगर पर कोठी से हुई लाइसेन्सी विदेशी रिवाल्वर सहित करोड़ो की चोरी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किये जाने की सूचना दी गई इस चोरी में डुप्लीकेट चाबी से घर का दरवाजा खोलकर घर में रखे पैसे व गहने चुराये गये थे वादी के अचानक घर आ जाने पर पीछे की तरफ से साडी बाँधकर घर से उतरकर फरार हो जाने के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 1583/19 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात वादी श्री अंकुश बंसल द्वारा पंजीकृत कराया गया था।“

उक्त घटना को ADG मेरठ जोन व IG मेरठ रेंज द्वारा गम्भीरता से लेते हुए जनपद पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश देकर जल्द से जल्द अनावरण हेतु लगाया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय को घटना के अनावरण हेतु नेतृत्व करने के आदेश दिये गये। इसी क्रम में थाना पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के कुशल निर्देशन में अथक प्रयास व कड़ी मेहनत से सूचना प्राप्त हुई कि व्यापारी के यहां हुई चोरी में व्यापारी के किसी करीबी का हाथ हैं। इसी क्रम में दिनांक 31.07.19 को मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस द्वारा वादी श्री अंकुश बंसल के चालक भागचन्द व उसके दो साथी मनीष उर्फ मंगल व प्रिन्स उर्फ नेवला को रात्रि समय करीब 20.30 बजे बम्हैटा गेट के सामने NH 24 से मय चोरी के लाइसेन्सी विदेशी रिवाल्वर 32 बोर व एक तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस तथा एक चाकू तथा चोरी के 80 हजार रुपये व एक चोरी की घड़ी के साथ गिरफ्तार करने में सफतला प्राप्त की गई।

पूछताछ से अभि0गण द्वारा चोरी की उक्त घटना का इकबाल किया गया तथा इनकी निशादेही पर अभियुक्त भागचन्द के किराये के घर कविनगर से 20 लाख रुपये, अभि0 मनीष उर्फ मंगल के घर रजापुर से उसकी निशादेही पर 14 लाख 80 हजार रुपये व एक हार सोने व डायमण्ड का मय झुमके तथा 07 अंगूठी सोने व डायमण्ड की तथा 06 कड़े सोने व डायमण्ड के व 02 चैन, 01 जोडी बिछुवा, 01 थाली चाँदी की (कीमत करीब 58 लाख रुपये) तथा अभि0 प्रिन्स उर्फ नेवला की निशादेही पर उसके किराये के घर रजापुर से 12 लाख रुपये व उसके पिता मुकेश से 01 लाख 85 हजार 500/- रुपये कुल रकम 49 लाख 45 हजार 500/- रुपये बरामद किये गये।

<u>*अभियुक्तो से पूछताछ का विवरणः-</u>

गिरफ्तार अभियुक्त मंगल ने पूछताछ में बताया कि मैं माह जून में जेल से छूटकर आया तो मुझे मेरे दोस्त प्रिन्स उर्फ नेवला ने बताया कि मकान नं. के. एल. 106 कविनगर में किसी व्यापारी के यहाँ बहुत रुपये व आभूषण है तथा व्यापारी का ड्राईवर भागचन्द चोरी कराने को राजी हैं और उससे मेरी मुलाकात कराई फिर हम तीनो ने बैठकर चोरी करने की योजना बनाई। भागचन्द ने हमको कोठी की एक डुपलीकेट चाबी बनाकर दी और बताया कि मैं अपने मालिक एवं परिजनो को लेकर उनके पोती के जन्मदिन पर खाना खिलाने बाहर लेकर जाऊंगा और तुम मौका पाकर चोरी कर ले जाना। इसी सूचना पर दिनांक 26.07.19 को रात्रि 08.30 बजे भागचन्द अपने सभी मालिको को बाहर ले गया और हम योजनानुसार उनके घर पहुँचकर चोरी करने लगे पहरे पर प्रिन्स उर्फ नेवला लगा था और हमने कुछ देर ही घर को खंगाला था कि अचानक मकान मालिक वापस आ गया जिसकी सूचना हमें भागचन्द ने समय रहते नही दी। यह जानकर हम अफरा तफरी में जो भी सामान हाथ लगा उसे बांधकर पीछे की ओर से साड़ी की रस्सी सी बनाकर उतरकर भाग गये चोरी किये गये माल को हम लोगो ने आपस में बाँट लिया और छिपकर रहने लगे।

घटना के अनावरण के लिये थाना कविनगर की तीन टीमें बनाई गई थी

1- क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय आतिश कुमार सिंह
2- SHO राजकुमार शर्मा
3- निरीक्षक रमेश चन्द्र राणा

उपरोक्त टीमो के नेतृत्व में गाजियाबाद व आस पास कई जनपदों में दबिश दी गई व मुखबिरो को लगाया गया। आस पास के 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खगाले गये तथा पूर्व के अभियुक्तो से पूछताछ की गई <u>काँवड यात्रा होने के कारण अत्यन्त व्यस्त होने के बावजूद टीम द्वारा मात्र 04 दिवस में अथक प्रयास करते हुए लगभग 95 प्रतिशत माल की बरामदगी करते हुए 04 शातिर अभियुक्तो की गिरफ्तारी की गई</u> इस कुशल कार्यवाही पर उत्साह वर्धन हेतु **<u>पूरी टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद द्वारा 25,000/- का ईनाम दिया गया है</u>** । चूकि चोरी के प्रकरण में सम्पूर्ण व्यापारी वर्ग में रोष था तथा कानूनी व्यवस्था की स्थित भी खराब हो सकती थी। इन परिस्थियों में कविनगर पुलिस द्वारा शीघ्र ही न केवल घटना का अनावरण किया गया बल्कि सभी अभियुक्तो की गिरफ्तारी के साथ माल की भी पूर्ण बरामदगी की गई। <u>इस पूरे प्रकरण में सम्पूर्ण व्यापारिक वर्ग का गाजियाबाद पुलिस पर विश्वास व भरोसा बढा है।</u>

<u>*अभियुक्त का नाम एवं पताः-</u>

1. मनीष उर्फ मंगल पुत्र जगपाल नि. रजापुर थाना कविनगर, गाजियाबाद। (उम्र 23 वर्ष)
2. प्रिन्स उर्फ नेवला पुत्र मुकेश नि. शैलेन्द्र उर्फ टिल्लू का मकान ग्राम रजापुर थाना कविनगर, गाजियाबाद मूल पता हरनौट थाना पाली मुकीमपुर जिला अलीगढ़। (उम्र 21 वर्ष)

3. ड्राईवर भागचन्द पुत्र आशाराम नि. के. एच. 105 कविनगर, गाजियाबाद। मूल पता धर्मपुरा जिला छतरपुर म.प्र.। (उम्र 19 वर्ष)

4. मुकेश पुत्र सुनहरी लाल नि. शैलेन्द्र उर्फ टिल्लू का मकान ग्राम रजापुर थाना कविनगर, गाजियाबाद मूल पता हरनौट थाना पाली मुकीमपुर जिला अलीगढ़।

अभियुक्तों से बरामदगी का विवरण-

कुल बरामद रकम – नगद व गहने मिलाकर (लगभग 01 करोड़ से अधिक) -

1. **01 रिवाल्वर विदेशी 32 बोर लाईसेन्सी नं. R321818325WLONG**।
2. **49 लाख 45 हजार 500/- रुपये नगद ।**
3. 01 तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस तथा 01 चाकू।
4. सोने व हीरे का हार – 01.
5. अंगूठी सोने व हीरे का – 07.
6. कड़े सोने व हीरे के – 06.
7. चैन सोने व हीरे की - 02 .
8. घडी – 01.
9. बिछुआ सोने के – 01 जोडी.
10. थाली चाँदी की – 01.

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः -मनीष उर्फ मंगल

1-मु.अ.सं.-2458/18 धारा 392 IPC थाना कविनगर गाजियाबाद

2- मु.अ.स.2534/18 धारा 392 IPC थाना कवि नगर गाजियाबाद

3- मु.अ.स.17/19 धारा 392 IPC थाना कवि नगर गाजियाबाद

4-मु.अ.स.1292/18 धारा 457/380 IPC थाना कविगर गाजियाबाद

5- मु.अ.स.202/18 धारा 380 IPC थाना कविनगर गाजियाबाद

6- मु.अ.स.226/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद

7-मु.अ.स.230/19 धारा 411/414 IPC थाना कविगर गाजियाबाद।

8-मु.अ.स.179/19 धारा 393 IPC थाना कविनगर गाजियाबाद

9-मु.अ.स.671/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कविनगर, गाजियाबाद।

10- मु.अ.स.1583/19 धारा 457/380/120बी भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद

11-मु.अ.स.1602/19 धारा 30 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः -प्रिन्स उर्फ नेवला एवं भागचन्द

1- मु.अ.स.1583/19 धारा 457/380/120बी भादवि थाना कविनगरगाजियाबाद

2- मु.अ.स.1603/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद(प्रिन्स उर्फ नेवला)

3- मु.अ.स.1604/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद(भागचन्द)

थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा दिनांक 31.07.2019 को समय करीब 18.10 बजे 2 अभियुक्त को गांजा की तस्करी करते हुए पकडे जाना जिनके कब्जे से 03 किलोग्राम गांजा नाजायज बरामद

होना- थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा दिनांक 31.07.2019 को बैहटा पुलिया नहर रोड थाना लोनीबोर्डर गा0बाद क्षेत्र मे गाजे की तस्करी करते हुए अभि0 राशिद पुत्र रशीद निवासी इकबाल नगर मुस्तफाबाद लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद मु 0अ0स0 620/19 धारा 18/20 एनडीपीएस अधि0 से 2 किलो गाजा व शवि पुत्र मौहम्मद रौनक अली निवासी मुस्तफाबाद लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद मु 0अ0स0 621/19 धारा 18/20 एनडीपीएस अधि 0 से 1 किलोग्राम गाजा को बैहटा पुलिया नहर रोड थाना लोनी बोर्डर गा0बाद क्षेत्र में गांजे की तस्करी करते हुये गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. अभि0राशिद पुत्र रशीद निवासी इकबाल नगर मुस्तफाबाद लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबादउम्र 32 वर्ष
2. अभि0 शवि पुत्र मौहम्मद रौनक अली निवासी मुस्तफाबाद लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबादउम्र 28 वर्ष

विवरण बरामदगी-

अभि0 राशिद पुत्र रशीद के कब्जे से-02 किलोग्राम गाजा

अभि0 शवि पुत्र मौहम्मद रौनक अली के कब्जे से-01 किलोग्राम गाजा

थाना लोनी पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 754/19 धारा 302/201 भादवि का सफल अनावरण कर नामजद तीनों अभि0गणों को गिरफ्तार किया गया - श्री संजय कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम मेवला भट्टी थाना लौनी जनपद गाजियाबाद ने दिनांक 31.07.19 को थाना हाजा पर अपने भतीजे चमन की तीन नामजद अभि0 अरुण S/0राजवीर व प्रवेश S/0विनोद तथा शेखर S/0सतेन्द्र निवासीगण ग्राम मेवला भट्टी थाना लोनी गा0बाद द्वारा मृत्यु किये जाने के सम्बन्ध में एक तहरीर दी थी।

तहरीर में बताया गया था कि दिनांक 30/07/2019को प्रार्थी का भतीजा चमन पुत्र अनि ल कुमार निवासी मेवला भट्टी समाधि वाले बाबा पर भण्डारे में खाने के लिए गया था। जिसे गाँव के ही लडके जिनके नाम अरुण S/0राजवीर व प्रवेश S/0विनोद तथा शेखर S/0सतेन्द्र निवासीगण ग्राम मेवला भट्टी थाना लोनी गा 0बाद अपने साथ भण्डारे पर से ले गये जिन्हें ले जाते हुए राजपाल पुत्र टीकाराम व शेर सिंह पुत्र रामचन्दर निवासीगण ग्राम मेवला भट्टी थाना लौनी गा 0बाद ने देखा था जब शाम को मेरा भतीजा चमन घर वापस नही आया तो हम परिजनो ने उसको काफी तलाश किया किन्तु दिनांक 31/7/19समय 7.50 PM पर मेरे भतीजे चमन की लाश बाबू धनपाल के ज्वार के खेतो में तलाश करने पर मिली मेरे भतीजे चमन से अरुण प्रवेश व शेखर उपरोक्त रंजिश मानते थे। इन्होने ही

मेरे भतीजे चमन की हत्या की है। तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 754/19 धारा 302/201 भादवि में मुकदमा पंजीकृत किया गया था

तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के आदेश के अनुपालन एंव क्षेत्राधिकारी लोनी के पर्यवेक्षण में घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक लोनी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गयी।मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक द्वारा मय टीम के भनैडा मन्दिर से दिनांक 01.08.19 को अभि0गण को हिरासत पुलिस में लिया गया तथा द्वारा बताये स्थान से **<u>हत्या में</u> <u>प्रयुक्त बेल्ट वरामद की गयी।</u>**

<u>पूछताछ अभियुक्तगणः-</u>

अभि0गण अरुण S/0राजवीर व प्रवेश S/0विनोद तथा शेखर S/0सतेन्द्र निवासीगण ग्राम मेवला भट्टी थाना लोनी गा 0बाद उपरोक्त से सख्ती से पूछताछ करने पर बताया कि मृतक चमन उपरोक्त हमें हमेशा पैसों का रोब देकर चिढाता एवं बेइज्जत करता था। इसी वजह से हम उससे रंजिश माना करते थे और उसे सबक सिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। दिनांक 30.07.19 को जब वह भंडारा खाने के लिए मंदिर पर आया तभी मौका पाकर हम उसको अपने साथ बाबू धनपाल के ज्वार के खेतो में ले गये तथा बेल्ट से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद बेल्ट वहीं गड्डे में फैंक दी थी।

<u>नाम पता अभियुक्तगणगिरफ्तार शुदाः–</u>

1. अरुण S/0राजवीर नि0 ग्राम मेवला भट्टी थाना लोनी गा0बाद
2. प्रवेश S/0विनोदनि0 ग्राम मेवला भट्टी थाना लोनी गा0बाद
3. शेखर S/0सतेन्द्र निवासी ग्राम मेवला भट्टी थाना लोनी गा0बाद

<u>वरामदगी-</u>

हत्या में प्रयुक्त बेल्ट